

राजीव नारायण रैना न्यायमूर्ति के समक्ष

राज कुमार— याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य- उत्तरदाता

सीडब्ल्यूपी 2013 की सं. 14808

जुलाई 15, 2013

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - रिट क्षेत्राधिकार - सेवा कानून - उम्मीदवार द्वारा गैर-अनुपालन - विज्ञापन में निहित स्पष्ट निर्देशों के साथ ओबीसी श्रेणी के लाभ का दावा करने वाला याचिकाकर्ता - आईटीबीपी बल में कांस्टेबल के पद पर भर्ती - ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की कट-ऑफ तारीख - याचिकाकर्ता प्रासंगिक तिथि तक इसे प्रस्तुत नहीं कर रहा है - याचिकाकर्ता को सामान्य श्रेणी में माना गया - उत्तरदाताओं के कार्य में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं - याचिका खारिज कर दी गई।

कट-ऑफ तिथि - क्या है - प्रासंगिक सेवा नियमों में निर्धारित तिथि - इसके अभाव में ऐसी तारीख जो आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन में उस उद्देश्य के लिए नियुक्त की जा सकती है - दोनों में से किसी एक की चूक में, फिर आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि - लागू सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का अनुपात - रिट याचिका खारिज कर दी गई।

अभिनिर्धारित किया कि सार्वजनिक रोजगार चाहने वाले उम्मीदवार द्वारा पात्रता की आवश्यकता प्राप्त करने/रखने के संबंध में कट-ऑफ तिथि के संबंध में मुद्दा अब एकीकृत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह माना गया है कि कटऑफ तिथि, जिसके संदर्भ में सार्वजनिक रोजगार चाहने वाले उम्मीदवार द्वारा पात्रता की आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए, संबंधित सेवा नियमों द्वारा निर्धारित तारीख है और यदि नियमों में कोई कट-ऑफ तिथि निर्धारित नहीं है, तो यह ऐसी तारीख होगी जो आवेदनों के लिए विज्ञापन में इस तरह के उद्देश्य के लिए नियुक्त की जा सकती है। यह केवल तभी है जब सेवा नियमों या विज्ञापन में ऐसी कोई तारीख निर्धारित नहीं की जाती है, तो आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को नियुक्त तिथि के रूप में लिया जाएगा।

(पैरा 9)

राज कुमार बनाम भारत संघ और अन्य
(राजीव नारायण रैना न्यायमूर्ति)

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता, आर.ए. श्योराण

राजीव नारायण रैना न्यायमूर्ति

(1) कर्मचारी चयन आयोग, चंडीगढ़ ने 2011 में आईटीबीपी बल के लिए कांस्टेबल (जीडी) के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन जारी किया। याचिकाकर्ता, जो ओबीसी श्रेणी (अहीर) से संबंधित है, ने कांस्टेबल (जीडी) के पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया और चयन की प्रक्रिया में भाग लिया। याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 06.06.2007 को प्रस्तुत ओबीसी श्रेणी के प्रमाण पत्र के साथ आवेदन और दस्तावेजों के आधार पर, उसे ओबीसी श्रेणी में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद, याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा भी पास की और उसे विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमटी) के लिए बुलाया गया।

(2) याचिकाकर्ता का मामला यह है कि ओबीसी के तहत चिकित्सा परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता अंक 33 हासिल करने वाले उम्मीदवारों को कांस्टेबल (जीडी) के पद पर नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है। याचिकाकर्ता ने 42 अंक हासिल किए लेकिन उसके मामले को ओबीसी श्रेणी में नियुक्ति के लिए अनुशंसित नहीं किया गया है। लेकिन उनके मामले पर सामान्य श्रेणी में विचार किया गया है और कहा गया है कि वह चिकित्सा परीक्षा के समय ओबीसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने आवेदन पत्र के साथ दिनांक 6.6.2007 को ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है और इसे चिकित्सा परीक्षा के समय भी प्रस्तुत किया है। भले ही अधिकारियों ने इसे खारिज कर दिया हो, लेकिन उन्हें सामान्य श्रेणी में माना गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के दौरान उसे ओबीसी श्रेणी में माना गया है लेकिन चिकित्सा परीक्षा के लिए उपस्थित होने पर विचार नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में अपने मामले पर विचार करने के लिए प्राधिकारियों से पुन संपर्क किया और उसने दिनांक 22-11-2011 को एक नया ओबीसी प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया है, परन्तु कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

(4) फैसला लिखते समय, इस न्यायालय ने महसूस किया कि याचिकाकर्ता ने आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन/नोटिस को रिकॉर्ड में नहीं रखा है और तथ्यों की उचित सराहना के लिए इसकी आवश्यकता है। इसलिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रोजगार समाचार/रोजगार समाचार में दिनांक 5.2.2011 को इस न्यायालय के अवलोकन के लिए प्रकाशित नोटिस की पूरी प्रति इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराई गई थी।

(5) विज्ञापन के अनुदेश 4 (सी) में निहित ओबीसी दर्जे पर विचार करने के संबंध में शर्त निम्नलिखित शब्दों में थी: -

"ओबीसी स्थिति का दावा करने वाले उम्मीदवार ध्यान दें कि क्रीमी लेयर की स्थिति पर प्रमाण पत्र समापन तिथि से पहले तीन साल के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए था यानी 04.03.2011।"

नोट I: आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात् 04.03.2011 को ओबीसी और उम्मीदवार की क्रीमी लेयर स्थिति के लिए गणना की तारीख के रूप में माना जाएगा।

(6) दिनांक 6.6.2011 (पी-3) के पत्र में याचिकाकर्ता को विस्तृत चिकित्सा जांच के लिए बुलाया गया था, यह इस प्रकार निर्धारित किया गया था: -

"ix) ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को अपना ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षा की सूचना के अनुबंध VII के अनुसार केन्द्र सरकार के कार्यालयों के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में या उससे पहले जारी किया गया है।"

(7) यह पाया गया है कि परीक्षा की सूचना के साथ संलग्न अनुलग्नक VII के अंत में, नोट II का उल्लेख किया गया है, जो निम्नानुसार है:

"नोट- दो: आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को उम्मीदवार की ओबीसी स्थिति के लिए गणना की चुनौती के रूप में माना जाएगा और यह भी माना जाएगा कि उम्मीदवार क्रीमी लेयर में नहीं आता है।"

(8) ऊपर पुनः प्रस्तुत प्रासंगिक खंडों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित कटऑफ तिथि को अन्य पिछड़ा वर्ग और इस श्रेणी में उम्मीदवार की क्रीमी लेयर स्थिति की गणना करने की तारीख के रूप में माना जाना है। यह आवश्यक था कि ओबीसी प्रमाण पत्र समापन तिथि यानी 4.3.2001 से पहले 3 साल के भीतर जारी किया जाना चाहिए।

(9) याचिकाकर्ता के मामले के अनुसार, उसने दिनांक 28-6-2011 को चिकित्सा परीक्षा में उपस्थित होने के दौरान अन्य दस्तावेजों के साथ दिनांक 6-6-2007 को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। सार्वजनिक रोजगार चाहने वाले उम्मीदवार द्वारा पात्रता की आवश्यकता प्राप्त करने/रखने के संबंध में कट-ऑफ तारीख के संबंध में मुद्दा अब पुनः एकीकृत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह माना गया है कि कट-ऑफ तिथि, जिसके संदर्भ में सार्वजनिक रोजगार चाहने वाले उम्मीदवार द्वारा पात्रता की आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए, संबंधित सेवा नियमों द्वारा निर्धारित तारीख है और यदि नियमों में निर्धारित कोई कट-ऑफ तारीख नहीं है, तो यह ऐसी तारीख होगी जो आवेदनों के लिए विज्ञापन में इस तरह के उद्देश्य के लिए नियुक्त की जा सकती है। यह केवल तभी होता है जब सेवा नियमों या विज्ञापन में ऐसी कोई तारीख निर्धारित नहीं की जाती है, तो आवेदन

राज कुमार बनाम भारत संघ और अन्य
(राजीव नारायण रैना न्यायमूर्ति)

पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को नियत तारीख के रूप में लिया जाएगा। इस संबंध में श्रीमती रेखा चतुर्वेदी बनाम राजस्थान विश्वविद्यालय और अन्य, (1) डॉ एमवी नायर बनाम भारत संघ और अन्य, (2), यूपी लोक सेवा आयोग, यूपी, इलाहाबाद और अन्य बनाम अल्पना (3), और भूपिंदर पाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (4) का संदर्भ दिया जा सकता है।

(10) जहां तक याचिकाकर्ता को ओबीसी श्रेणी में चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में भाग लेने की अनुमति देने का संबंध है, यह सार्वजनिक सूचना दिनांक 5.02.2011 में प्रस्तुत निर्देश संख्या 2 का विज्ञापन करना उपयोगी होगा जो निम्नलिखित शब्दों में था:

"आवेदकों की प्रत्याशित बड़ी संख्या को देखते हुए, पात्रता और अन्य पहलुओं की जांच पीएसटी/ पीईटी और लिखित परीक्षा से पहले नहीं की जाएगी और इसलिए, उम्मीदवारी केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक मानकों आदि की आवश्यकताओं के माध्यम से जाएं और खुद को संतुष्ट करें कि वे पदों के लिए पात्र हैं। सहायक दस्तावेजों की प्रतियां केवल उन उम्मीदवारों से मांगी जाएंगी जो चिकित्सा परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। जब लिखित परीक्षा के बाद जांच की जाती है, यदि आवेदन में किया गया कोई दावा प्रमाणित नहीं पाया जाता है, तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।"

(11) इस तरह के निर्देशों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि याचिकाकर्ता को केवल शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षा और ओबीसी श्रेणी के तहत लिखित परीक्षा में भाग लेने के कारण कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं मिला है। प्रारंभ में ही अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया गया था कि आवेदनों की प्रत्याशित बड़ी संख्या के कारण पात्रता और अन्य पहलुओं के संबंध में अंतिम रूप से संवीक्षा की जाएगी और सहायक दस्तावेजों की प्रतियां केवल उन्हीं अभ्यर्थियों से मांगी जाएंगी जिन्होंने चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण की है। यह सार्वजनिक नोटिस में जारी किए गए ऐसे स्पष्ट निर्देशों के आलोक में है कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी केवल अनंतिम आधार पर ओबीसी श्रेणी में स्वीकार की गई थी। याचिकाकर्ता की मेडिकल जांच के बाद यह पाया गया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत ओबीसी श्रेणी का प्रमाण पत्र दिनांक 6.6.2007 को अंतिम तिथि से 3 साल पहले जारी किया गया था। इसलिए उन्हें ओबीसी श्रेणी के तहत योग्य नहीं पाया गया और उन्हें सामान्य श्रेणी में माना गया है। प्रतिवादी-आयोग द्वारा इस तरह की कार्रवाई के लिए कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है।

1. JT 1993 (1) एससी 220
2. 1993 (2) एससीटी 77 (एससी)
3. JT 1994(1) एससी 94
4. 2000 (2) एससीटी 826

(12) अंतिम प्रयास के रूप में, विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि याचिकाकर्ता ने 22.11.2011 को जारी ओबीसी श्रेणी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है। इस तरह की अधीनता पूरी तरह से गलत है। सार्वजनिक सूचना में, निर्देश 4 (सी) यह दर्शाता है कि ओबीसी दर्जे का दावा करने वाले उम्मीदवार यह नोट कर सकते हैं कि क्रीमी लेयर स्थिति पर उम्मीदवार को अंतिम तिथि से तीन साल पहले प्राप्त किया जाना चाहिए था अर्थात् 04.03.2011। इस प्रकार, सामान्य श्रेणी में याचिकाकर्ता के नाम पर विचार करने में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है।

(13) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, याचिका में कोई योग्यता नहीं है और तदनुसार, इसे लिमिनी में खारिज कर दिया गया है।

एस. गुप्ता

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

खुश करण जोत सिंह गिल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी